राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 2012 / 98912 जयपुर, दिनांक 14 FEB 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों के कार्य **मूल्यांकन** करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2008, 01.10.2008 एवं 23.09.2011(संलग्न)

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे, कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के कार्य का मुल्यांकन कर उनके संविदा अनुबंध को बढाये जाना है। कार्मिकों के प्रतिमाह उनके कार्य की समीक्षा करने एवं समीक्षा के दौरान कार्मिकों में सुधार नही होने की स्थिति में लिखित नौटिस देने तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही होने पर संविदा अनुबंध नही बढाये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 31.01.2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि जिलों में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, लेखा सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर ढंग से कार्य नही कर रहे है, तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का सही प्रकार से आंकलन नही किया जा रहा है, जिससे की योजना का कार्य कुछ जिलों में सुचारू रूप से सम्पादित नही हो रहा है।

अतः संविदा पर कार्यरत कार्मिक जिनकी कार्यकुशलता एवं कार्य परिणाम संतोषप्रद नही है, उन कार्मिको को संविदा सेवा से पृथक किया जावे ताकि योजना का कार्य सुचारू रूप से हो सके। विभाग के उक्त निर्देशों के अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन उचित रूप से करके ही नियमानुसार संविदा अनुबंध बढाने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

13/2/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. निजी सचिव, परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त।
7. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

E-mail

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. PS/RD & PR/2008 Dated : 04.09.2008

All Collectors & District Programme Co-ordinators,
National Rural Employment Guarantee Scheme,
Rajasthan.

Sub : Annual Performance Appraisal of Project Officers, NREGA - Key Performance Indicators.

Sir/Madam,

Project Officer, NREGA is a key statutory functionary in implementation of the processes of NREGA and achieving the main objectives of NREGA i.e. (a) providing 100 days employment to each household reporting on work and (b) creation of durable assets.

Right from preparation of Annual Action Plan, Labour Budget, Starting of works, Execution of works, Supervision & Transparency, Operationalization of MIES, Payment of wages, Accounts & Audit and Monitoring & Evaluation, Project Officer, NREGA has a key role to perform.

However, experience of past two years have shown that in the absence of specific deliverables prescribed for Project Officers, most of the PO's have not focussed on key areas of the programme with the result that in many areas, the results have been sub-optimal.

In order to inprove efficiency of the Project Officer and make him/her accountable for performance, key deliverables have been fixed which are enclosed herewith. Each deliverable has also been assigned marks out of which, the assessing authority i.e. DPC will give marks for each activity based on performance and then tatality. The grading to be done will be as under :

A+	:	90% & above (Performance to be rated as outstanding)
A	:	Between 75 - 90% (Very Good)
B+	:	Between 60 - 75% (Good)
B	:	Between 50 - 60% (Average)
C	:	Below 50% (Adverse entry)

Project Officers on contract basis and whose scoring will be below 50%, their period of contract will not be extended. In case of regular PO's, an adverse entry would be recorded by the Reporting Officer.

This system would come into force from the year 2008-09. It would be advisable for the DPC's to issue monthly rating to PO's so that they get a chance to improve where they lag behind. All Project Officers should also be informed about this Annual Performance Appraisal system.

Yours faithfully,

Encl : As above.

(Ram Lubhaya)
Pr. Secretary to Government

E-mail

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. PS/RD & PR/2008 Dated : 1st October, 2008

1. All Collectors & District Project Coordinators,
   National Rural Employment Guarantee Scheme,
   Rajasthan.
2. All Chief Executive Officers,
   Zila Parishad, Rajasthan,

Sir/Madam,

A number of functionaries have been appointed on contract under NREGA by the Panchayati Raj Institutions as per Circular No. F.1(5)FD/Rules/2002 dated 9th January, 2007 of Finance Department, Govt. of Rajasthan. Under Para 5 of the Agreement signed between the employer and the contractual employee, the the decision on revision of emoluments is to be taken at the discretion of the employer keeping in view the quality and efficiency of services rendered during the preceding year. Besides, the employer also has to take a decision on the contract period every year.

In order to evolve an objective and transparent criteria to evaluate the service rendered by the contractual employee during the preceding year, a score based evaluation system has been devised.

The details of key result areas, key deliverables and the assigned score for each activity in respect of each of the following is enclosed herewith :

(i) Coordinator, Supervision (Social Audit & Public Grievances)
(ii) Coordinator (Training),
(iii) Manager, IEC
(iv) Manager, MIS
(v) Sr. Technical Assistant in PO's Office
(vi) Jr. Technical Assistant in PO's Office
(vii) Computer Operator & Data Entry Operator at Distt. HQ's as well as in PO's Office
(viii) Gram Rojgar Sahayak at Panchayat level

For Programme Officer, it has already been done and instructions were issued last month.The key result areas and key deliverables for XEN(NREGA) have also been prescribed and are enclosed herewith.

Performance appraisal would be done at the intervals mentioned in the formats by the Supervising Authority. The purpose of this exercise is to bring an improvement in the coming months. If any contractual employee consistently shows unsatisfactory performance, the contract may be terminated as per conditions of the agreement. The annual extension of contract will be based on the minimum performance levels as given in each of the format. .The annual revision of emoluments as per Para 5 of the agreement would be decided based on the % score of each contractual employee.

You are requested to inform all concerned and make the format available to them so that they could assess performance on their own from time to time. DPC's must ensure that this system comes into effect immediately.

Yours faithfully,

Encl : As above.

(Ram Lubhaya)
Pr. Secretary to Government

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(19)ग्रावि/नरेगा/कार्य.अधि./2010 जयपुर, दिनांक 23 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिले में पदस्थापित कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी के जॉबचार्ट के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक प. 4(19)ग्रावि/आरई/एनआरईजीएस/2006 दिनांक 04.08.06

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिले में पदस्थापित कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी के जॉबचार्ट जारी किये गये थे। वर्तमान में कार्यक्रम अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन विकास अधिकारी द्वारा ही किया जा रहा है। इनकी सहायता के लिये प्रत्येक पंचायत समिति में अब एक सहायक कार्यक्रम अधिकारी का पद अनुबन्ध पर सृजित किया गया है।

योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी के दायित्वों में काफी वृद्धि हो चुकी है। अतः इनके जॉब चार्ट को पुनः निर्धारित कर भिजवाया जा रहा है, साथ ही सहायक कार्यक्रम अधिकारी का जॉब चार्ट भी तैयार कर भिजवाया जा रहा है। अब कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व संलग्न जॉब चार्ट के अनुसार होंगे। इनके कार्य का मूल्यांकन इस जॉब चार्ट को आधार मानकर ही किया जावेगा।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीरज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
4. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस।
5. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस